# अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453-222001(का0)
06453-222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in


संचिका संख्या : XVI-03/17-18 पत्रांक /आ0प्र0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
अररिया

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

अररिया, दिनांक........./........./2017

विषय : संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर मझोला नाव का क्रय/ दर निर्धारण हेतु अल्पकालीन निविदा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर मझोला नाव का क्रय/ दर निर्धारण हेतु अल्पकालीन निविदा की पांच प्रतियॉ (सी0डी0 सहित) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निविदा का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आमजन की जानकारी हेतु प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक....503..../आ0प्र0, अररिया, दिनांक..01..../..07..../2017

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने-अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार-प्रसार कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : अपर जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निविदा की प्रति के साथ निदेश है कि प्रमुख समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराते हुए जिला सतर पर वृहत रूप से प्रचार प्रसार कराना सुनियिचत करेंगे।

1/7/17

जिला पदाधिकारी,
अररिया

बिहार सरकार

# अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453-222001(का0)
06453-222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in

## अल्पकालीन निविदा संख्या – 03/17–18

सम्भावित बाढ़–2017 की पूर्व तैयारी के मद्देनजर नाव की आवश्यकता होगी, जिसके दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिये इच्छुक आपूर्तिकताओं से सील बंद लिफाफा में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदाताओं को जिलाधिकारी, अररिया के पदनाम से मो0–10,000/–(दस हजार) रू0 जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद जिला नजारत प्रशाखा, अररिया में जमा करना होगा। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14.07.2017 के अपराह्न 1:00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। आवश्यक सामग्रीयों की सूची निम्न प्रकार है:–

| क्र0सं0 | नाम का प्रकार | साईज | नाव की विशिष्टितियाँ | लकड़ी का प्रकार | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंझोली नाव | 20'X5'X1.9' | 1. नीचे तरी–तख्ता–मोटाई 1.25 इंच<br>2. तारी की चौड़ाई– 60 इंच (05 फीट)<br>3. तरी की लम्बाई– 17 फीट<br>4. तरी पर सर्पोटर मोटाई– 3" X 2" 10 पीस<br>5. बगली–तख्ता की मोटाई–1 इंच–21'X1.5' X1' (दोनो साईड)<br>6. बगली दिवाल–तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई–3" X 2"(दोनो साईड)–10 पीस<br>7. बगली के दोनो साईड बंधन बती–उपरी भाग–3"X1.50" (दोनो साईड)<br>8. रस्सी बाँधने वाला खुंटा– 3" X 2.5" 02 पीस<br>9. मलाह मांग पाटन दोनो साईड–तख्ता 01 इंच नीचे सर्पोटर 4"X2" दोनो साईड (04 फीट लम्बाई में)<br>10. उपरी भाग सर्पोटर (गुरहा)–4" X 3" 03 पीस<br>11. आगे–पीछे मांग 5"X3"X3.5' 02 पीस | पूर्णरूपेण सखुआ– 100% | दर प्रति नाव अंकित होगा |

### निविदा की आवश्यक शर्तें:–

1. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के एक माह के भीतर स्वीकृती के अनुरूप गुणवत्ता एवं संख्या के अनुसार नाव की आपूर्ति संबंधित अंचल मुख्यालय में करना होगा। इसके लिये अलग से परिहवन भाड़ा देय नहीं होगा। नावों में प्रयुक्त लकड़ी की गुणवत्ता की जाँच वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (लकड़ी विशेषज्ञ) द्वारा की जायेगी। इन नावों में प्रयुक्त लकड़ी की साईज की गुणवत्ता की जाँच कार्यपाकल अभियंता, भवन निर्माण विभाग, अररिया द्वारा किया जायेगा। नावों की लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक, अररिया द्वारा किया जायेगा। नावों की गुणवत्ता जाँचोपरान्त सहित पाये जाने की स्थिति में नयी नाव का अलकतरा पेन्ट एवं रंग पेन्ट का कार्य आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा। दर निर्धारण के उपरान्त राशि का आकलन शेड्यूल ऑफ डिलीवरी के अनुसार राशि की मांग विभाग से की जायेगी।
2. तकनीकी निविदा से साथ अपने प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर, निबंधित वैट संख्या एवं आयकर विभाग का स्वच्छता प्रमाण पत्र पैन नम्बर, श्रम अनुज्ञप्ति की प्रति सहित संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/फार्म काली सूची में नहीं है। तकनीकी निविदा में सफल होने के पश्चात् ही निविदा खोली जायेगी।
3. वित्तीय निविदा में नाव की दर तथा सभी तरह के कर को अलग–अलग अंकित करते हुए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
4. प्रत्येक नावों की लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक, अररिया से करवाने के पश्चात् नाव के बाहरी दीवार पर पेंट से नावों की क्र0सं0 एवं लदान क्षमता अंकित करना आवश्यक होगा।

5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

6. नाव आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश के तुरंत बाद स्वीकारनामा (एग्रीमेंट) करना होगा कि निर्धारित समय पर उनके द्वारा निर्धारित मापदंड एवं गुणवत्ता/विशिष्टियों के अनुरूप नावों की आपूर्ति कर दिया जायेगा। नाव आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी एवं अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।

7. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।

8. आपूर्ति की गई नावों के लिये भुगतान हेतु समर्पित विपत्र के विरूद्ध नियमानुसार बी0एस0टी0/टी0ओ0टी0 देय होगा, जिसका कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण–पत्र (Tax Clearance Certificate) प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् भुगतान लेखा प्रदायी (A/C Payee) चेक के माध्यम से किया जायेगा।

9. निविदा सम्बन्धित कोई भी आपूर्त्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, अररिया के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये जिला पदाधिकारी, अररिया के बेवसाईट dm-araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

10. बिना कारण निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 503 /आ0प्र0, अररिया, दिनांक 01 / 07 /2017

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा सूचना की प्रति अविलम्ब जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : मोटरयान निरीक्षक, अररिया/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, अररिया/कार्यपाकल अभियंता, भवन निर्माण विभाग, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया/आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/7/17

जिला पदाधिकारी,
अररिया